



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2019/ 3237

भोपाल, दिनांक.....15/4/19

प्रति,

1. अधिष्ठाता, समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
4. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी  
मध्य प्रदेश

विषय:- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में भोजन व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- क्रमांक /एनएचएम/एमएच /2018 /2323 / दिनांक 27.7.2018 भोपाल

क्रमांक /एनएचएम/एमएच /2018 /2438 / दिनांक 20.8.2018 भोपाल

विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2019-20 में भोजन व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान किया गया है

1. हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के वर्ष 2019-20 में शासकीय संस्थाओं में भर्ती गर्भवती महिला, प्रसूता महिला, एनआरसी एवं एसएनसीयू बच्चों की माताओं हेतु भोजन की व्यवस्था एनएचएम मद से रु. 90/- प्रति दिन/प्रति महिला के मान से की गई है, जिसमें 80/- रुपये भोजन हेतु तथा 10/- रुपये किचन की अन्य व्यवस्था जैसे गैस, बर्तन एवं किचन की साफसफाई हेतु साबून सोडा इत्यादी के लिये प्रदाय किये गये है।
2. जेएसएसके कार्यक्रम में भोजन हेतु बजट ई-वित्त प्रवाह के माध्यम से सिविल सर्जन एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को किया गया है। समस्त भर्ती गर्भवती महिला, प्रसूता महिला, एनआरसी तथा एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की माताओं को संलग्न डाईट चार्ट अनुसार भोजन प्रदाय किया जाना है।
3. सिविल सर्जन के अंतर्गत आने वाली समस्त डिस्ट्रिक्ट पाईट पर गर्भवती महिला को प्रदाय किये जा रहे भोजन का भुगतान सिविल सर्जन द्वारा किया जायेगा, एवं विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली समस्त डिस्ट्रिक्ट पाईट पर गर्भवती एवं प्रसूता महिला को प्रदाय किये जा रहे भोजन का भुगतान विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. जेएसएसके कार्यक्रम अंतर्गत डाईट हेतु FMR Code 1.1.1.2 में राशी पांच मद में प्रदाय की गई है अतः मदवार हितग्राहियों को प्रदाय की गई डाईट की बुकिंग संबंधित मद में किया जाना है एवं उसी आधार पर राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जायेगा।
5. जेएसएसके कार्यक्रम अंतर्गत भोजन हेतु प्रदाय की गई राशी को आरकेएस में हस्तांतरित नहीं किया जाना है।
6. वर्तमान में जेएसएसके कार्यक्रम अंतर्गत डाईट का भुगतान माह में हुये प्रसव संख्या, एनआरसी तथा एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में सुधार किया जाना है अतः डाईट का भुगतान प्रतिदिन प्रदाय की गई डाईट के आधार पर किया जाना है। इस हेतु संस्था के किचन में वार्ड वार प्रतिदिन प्रदाय की गई जानकारी का संधारण किया जाना है तथा माह के अंत में उसी आधार पर डाईट की बुकिंग की जानी है।
7. वर्तमान में प्रसव हेतु भर्ती महिला तथा ईलाज हेतु भर्ती गर्भवती महिला अगर शाम को या रात में भर्ती होती है तो उस महिला को भोजन एक दिन बाद प्रदाय किया जाता है। इस व्यवस्था में सुधार कर महिला को भोजन भर्ती दिन से ही प्रदाय किया जाना है।

डॉ. [Signature]  
उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य  
मिशन

8. लेवल -1 डिलेवरी पाईट पर किचन व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय स्तर पर डाईट चार्ट अनुसार भोजन बनाकर प्रसूता महिला को वितरित किया जाना है।
9. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर समस्त गर्भवती महिला को रू. 25/- प्रति महिला के मान से पौष्टिक आहार प्रदान किया जाना है। पौष्टिक आहार में 2 मेवे के लड्डू तथा दो मौसमी फल जैसे केला, अमरूद, नाशपाति, संतरा, सेब आदि। लड्डू संस्था के किचन में ही बनाया जाए।
10. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेतु प्रत्येक माह की 8 तारीख को आहार बनाकर पैक किया जाए तथा 9 तारीख को वितरित किया जाए। पोषण आहार के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।

जेएसएसके कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले भोजन एवं पोषण आहार की गुणवत्ता एवं भोजन तालिका अनुसार वितरण हेतु प्रत्येक संस्था में गुणवत्ता समिति का गठन किया जाये, एनआरसी की फीडिंग डिमोनस्टार भी समिति की सदस्य रहेगी। समिति उपयोग में आने वाली सामग्री एवं हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली भोजन की मात्रा की निगरानी करेगी। सप्ताह में दो दिन समिति के सदस्य सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात के भोजन तथा प्रतिदिन दो बार प्रदाय किये जाने वाले दूध की मात्रा की जांच करेंगे।

प्रत्येक संस्था में प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे भोजन तथा निरीक्षण पंजी संधारित की जाए संस्था प्रभारी/सिस्टर इंजार्च प्रत्येक दिन भोजन पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे। किचन में वार्ड वार प्रतिदिन प्रदाय की जा रही डाईट हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाना है एवं माह के अंत में किचन प्रभारी प्रदाय की गई डाईट की जानकारी वित्त शाखा में उपलब्ध करायेगें। संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप संलग्न।

M/10/4  
(नीतेश व्यास)


मिशन संचालक सह आयुक्त  
स्वास्थ्य विभाग  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2019/ 3238  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 15/4/19

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. संचालक, वित्त एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सुपरीटेन्डेंट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. अधीक्षक सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल
8. समस्त संभागीय आरएमएनसीएच कोऑर्डिनेटर, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।

M/10/4  
मिशन संचालक सह आयुक्त  
स्वास्थ्य विभाग  
मध्यप्रदेश

  
उप संचालक, मिशन स्वास्थ्य  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश



शासकीय संस्थाओं में भर्ती गर्भवती / धात्री महिलाओं एवं एस.एन.सी.यू. तथा एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों की माताओं हेतु डाईट चार्ट

भोजन के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को 2 गुड भोज लड्डू प्रतिदिन प्रदाय किये जाने है

	डाईट चार्ट-सोमवार / गुरुवार	डाईट चार्ट-मंगलवार / शुक्रवार / रविवार	डाईट चार्ट-बुधवार / शनिवार
समय	सामग्री	सामग्री	सामग्री
सुबह 7 बजे से 7:30 बजे	अनुमानित मात्रा	अनुमानित मात्रा	अनुमानित मात्रा
नाश्ता 9:00 से 9:30 बजे	1 कप (125 एम.एल.) 4 नग दूध 1 गिलास (250 एम.एल.) पोहा / उपमा 1प्लेट (100 ग्राम) केला 2 नग सलाद 1 कटोरी (50ग्राम) रोटी 3-4 नग (120 ग्राम) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्ली, टमाटर, सेम, मिण्डी, पालक आदि)	1 कप (125 एम.एल.) 4 नग दूध 1 गिलास (250 एम.एल.) मीठा दलिया 1प्लेट (100 ग्राम) पपीता 100 ग्राम सलाद 1 कटोरी (50ग्राम) रोटी 3-4 नग (120 ग्राम) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्ली, टमाटर, सेम, मिण्डी, पालक आदि)	1 कप (125 एम.एल.) 4 नग दूध 1 गिलास (250 एम.एल.) मीठा दलिया 1प्लेट (100 ग्राम) केला 2 नग सलाद 1 कटोरी (50 ग्राम) रोटी 3-4 नग (120 ग्राम) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्ली, टमाटर, सेम, मिण्डी, पालक आदि)
भोजन 1:30 से 2:00 बजे	1 कटोरी (30 ग्राम) नमकीन दलिया 1 कटोरी (100 ग्राम) चाय 1 कप (125 एम.एल.) बिरिकट 04 नग रोटी 3-4 नग (120 ग्राम) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्ली, टमाटर, सेम, मिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (30 ग्राम) दाल ( अरहर / खड़ी मूंग) 1 कटोरी (30 ग्राम) चावल 1 कप (125 एम.एल.) चाय 1 कप (125 एम.एल.) बिरिकट 04 नग रोटी 3-4 नग (120 ग्राम) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्ली, टमाटर, सेम, मिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (30 ग्राम) दाल ( अरहर / खड़ी मूंग) 1 कटोरी (30 ग्राम) नमकीन दलिया 1 कटोरी (100 ग्राम) चाय 1 कप (125 एम.एल.) बिरिकट 04 नग रोटी 3-4 नग (120 ग्राम) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्ली, टमाटर, सेम, मिण्डी, पालक आदि)
रात्रि भोजन 8:00 बजे 8:30 बजे	दाल ( अरहर / खड़ी मूंग) 1 कटोरी (30 ग्राम) दूध 1 गिलास (250 एम.एल.)	दाल ( अरहर / खड़ी मूंग) 1 कटोरी (30 ग्राम) दूध 1 गिलास (250 एम.एल.)	दाल ( अरहर / खड़ी मूंग) 1 कटोरी (30 ग्राम) दूध 1 गिलास (250 एम.एल.)